भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2542

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का प्रभावी कार्यान्वयन</u>

2542. श्री मोहम्मद अली खान :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या है;

(ख) इस योजना के अधीन खर्च की गई राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) : कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास संकेतकों की खामियां दूर करके समावेशी विकास की प्रक्रिया में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करना है।

(ख) : अधिनियम के सीएसआर प्रावधान और उनके तहत बनाए गए नियम दिनांक 01.04.2014 से लागू हुए हैं। अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। सीएसआर के तहत व्यय की गई निधि के ब्यौरे कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय के अनिवार्य प्रकटीकरण के बाद ही उपलब्ध होंगे, जो सितंबर, 2015 के बाद देय होगा।

(ग) : अधिनियम में सीएसआर के संबंध में कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम करने के लिए समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

*****